

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

सुरेश पंडित बनाम पुरन पंडित वगै०

वाद संख्या - 159/2023

धारा - 144 द०प्र०सं०

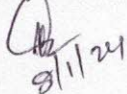
आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
81/124	<u>आदेश</u> अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा- मंदरामो, थाना- सरिया, अंचल- सरिया, जिला- गिरिडीह, खाता न०- $\frac{40}{311}$, प्लॉट न०- 84, रकबा- 4.32 एकड़ मद्ये 496 वर्ग फीट, चौहद्दी- उ०-मंगर पंडित, द०- विजय पंडित, पू०- रोड, प०- मंगर पंडित पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार प्रथम पक्ष को वाद की भूमि उनके पूर्वज कुंजो कुम्हार पिता रति कुम्हार के द्वारा हासिल है। वाद की भूमि का एग्रीमेंट प्रथम पक्ष के नाम पर निष्पादित किया गया है द्वितीय पक्ष के सदस्य गण वाद की भूमि पर जबरन बल पूर्वक नीव की खुदाई करने लगे जिस कारण विवाद उत्पन्न हो गया एवं प्रथम पक्ष के द्वारा मुकदमा दायर किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। 1. एग्रीमेन्ट की छायाप्रति। 2. पंचनामा की छायाप्रति। 3. राजस्व रशीद की छायाप्रति जो कुंजो कुम्हार के नाम पर निर्गत है। 4. ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि प्रश्नागत वाद की भूमि कुंजो कुम्हार पिता रति कुम्हार को बजरिये हुक्मनामा से प्राप्त है। कुंजो कुम्हार अपने पीछे चार पुत्रों भातु पंडित, मुरत पंडित, लाटो पंडित एवं गुरुचरण पंडित को छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुए। भातु पंडित अपने पीछे आठ पुत्रों को वारिश के रूप में छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुए। उक्त वाद के उभय पक्ष अपनी सहोदर भाई एवं पिता हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने पिता के जीवन काल में ही अपने पिता की सम्पत्ति पर मुकदमा कर दिया गया है एवं पिता को भी पक्षकार बनाया गया है। द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या 3 एवं 4 उभय पक्षों की माता एवं पिता हैं। प्रश्नागत वाद की भूमि का जमाबंदी अंचल कार्यालय सरिया के जमाबंदी पंजी-II के भाग संख्या-1 पेज संख्या-295 पर दर्ज है एवं उभय पक्षों के पूर्वज के नाम पर राजस्व रशीद निर्गत होता चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा वाद की भूमि का दावा एक अनिबंधित एग्रीमेन्ट के आधार पर किया जा रहा है, जब कि संपत्ति का जरसम्मन एक सौ रुपये से अधिक हैतो संपत्ति का निबंधन होना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नागत भूमि पर प्रथम पक्ष का दावा गलत एवं मुकदमा खारिज करने योग्य है।	

थाना प्रभारी सरिया के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर बतलाया गया है कि प्रश्नागत भूमि प्रथम पक्ष के द्वारा अपनी माता-पिता का देखभाल आदि नहीं किया जा रहा था जिस कारण प्रथम पक्ष के दो भाई ही अपनी माता-पिता का सेवा सत्कार किया करते हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या 3 कार्तिक पंडित के द्वारा गाँव में मनसा मंदिर के निर्माण हेतु उक्त भूमि दे दिया गया एवं वाद की भूमि पर मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है, द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को वाद की भूमि के बदले दूसरी भूमि दी जा रही है परन्तु प्रथम पक्ष लेने को तैयार नहीं है जिस कारण टकराव है।

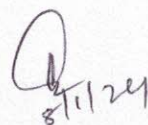
उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि पर हक-हकियत तथा बँटवारा से संबंधित विवाद है जिसका निष्पादन इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में नहीं है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है सक्षम न्यायालय में वाद लाकर अपना-अपना दावा प्रस्तुत करते हुए विवाद का निपटारा कर लें। तब तक क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाये रखें। उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उक्त आदेश का परिचालन द०प्र०सं० की धारा 144 (4) के अधीन प्रभावी होगा।

लेखापित एवं संशोधित,



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

